

महिला सशक्तीकरण बनाम स्त्री जागरूकता

डॉ राम मेहर सिंह (एसोसिएट प्रोफेसर), हिन्दी विभाग
छोटूराम किसान स्नातकोत्तर, महाविद्यालय, जीन्द।

आज आवश्कता इस बात की है कि महिलाओं को स्वयं की ताकत के बारे में जागृत किया जाए। जिससे वे सामाजिक विकास की प्रवर्तक बन सकें। महिलाएं जब अपनी शक्ति, क्षमता व आत्मविश्वास को जागृत नहीं करेगी तब तक बाह्य कारक उन्हें सशक्त नहीं बना सकते हैं। परिवार की अधूरी नारी को जागरूक बनाकर समाज को सशक्त बनाया जा सकता है। सशक्त समाज से ही देश मजबूत होता है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि जहां-जहां स्त्रियों के श्रम संघर्ष और सहकारी प्रयत्न से उनका सबलीकरण हुआ है वहां समाज में अनेक परिवर्तन दिखाई देने लगे हैं। महिलाओं के समान अवसर, राजनैतिक और आर्थिक नीति निर्धारण में भागीदारी, समान कार्य के लिए समान वेतन, कानून के तहत सुरक्षा एवं प्रजनन का अधिकार आदि। 73 वें संविधान संसोधन द्वारा पंचायतों में एक तहाई पदों पर आरक्षण का प्रावधान किया गया है। परिणामस्वरूप पूरे देश में 11 लाख महिलाएं पंचायतों के काम-काज में प्रत्यक्ष रूप से भागीदार बन गई हैं। इसका राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव तभी दिखाई देगा जब महिलाएं अपने आप को एक सशक्त भूमिका में प्रस्तुत करेंगी। सशक्तीकरण बाहर से थोपा नहीं जा सकता वह तो स्वयं के भीतर से उत्पन्न होना चाहिए। सार्थक शिक्षा का प्रबन्ध

शिक्षा से महिलाओं में आत्मविश्वास, अपने अधिकारों के बारे में जागरूकता तथा अन्याय से लड़ने की नैतिक शक्ति पैदा होती है। वे अपने प्रति हो रहे सामाजिक एवं आर्थिक भेदभाव को पहचान कर उसका प्रतिकार करने योग्य बन सकती हैं। शिक्षा और जागरूकता के बढ़ने पर ही महिलाएं कानून द्वारा दी गई सुविधाओं का लाभ उठा सकती हैं। जब हम चाहते हैं कि महिलाएं राष्ट्रीय विकास की धारा में भागीदार बनें तब उनका शिक्षित होना एवं जागरूक होना आवश्यक है। हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं का शिक्षा में पिछड़ापन सर्वविदित है। यदि लड़कियां किसी प्रकार विद्यालय में प्रवेश लेती भी हैं तब भी उनकी प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं हो पाती है।

वास्तव में ग्रामीण क्षेत्रों में हर सौ बालिकाएं जिनका कि पहली कक्षा में दाखिला होता है, उनमें से चालीस पांचवीं कक्षा तक, अठारह आठवीं कक्षा तक, नौ दसवीं कक्षा तक पहुंच पाती हैं। आज प्रत्येक पंचायत में कम से कम एक उच्च प्राथमिक शाला है तब क्या कारण है कि गांव की लड़कियां आठवीं कक्षा तक की शिक्षा भी ग्रहण नहीं कर पाती हैं।

प्रत्येक परिवार के लिए आवश्यक हो कि सभी लड़कियां आठवीं तक की शिक्षा तो अनिवार्य रूप से प्राप्त करें। लड़कियों के लिए आठवीं तक की शिक्षा निःशुल्क है। ऐसी हालत में भी लड़कियों को छोटे-छोटे घरेलू काम-काज में लगाए रखना जीवनभर के लिए उन्हें अशिक्षित छोड़ देता है। उन परिवारों को दी जाने वाली सुविधाओं पर प्रतिवंध लगाना चाहिए जो बालिकाओं को शिक्षित करने में सहयोग नहीं देते हैं। माता-पिता, अभिभावकों को समझा बुझाकर, दण्ड करके, बाध्य किया जाए जिससे बालिका शिक्षा का लक्ष्य पूरा हो सके। दलित और पिछड़े वर्गों की बालिकाओं में शिक्षा के लिए विशेष उपाय करने की आवश्कता है। निर्णय लेने की क्षमता का विकास

महिलाओं के शोषण एवं उत्पीड़न को रोकने के लिए आवश्यक है कि उनका चंहुमुखी विकास किया जाय। कानूनों के बारे में उनका ज्ञान बढ़ाया जाय। इसके लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था तो कर दी गई है। अब जब महिला जनप्रतिनिधियों को पुरुष प्रधान राजनैतिक व्यवस्था अपनी भूमिका निभाने के लिए खड़ा कर दिया गया है तब उनकी भूमिका को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए खुद को तैयार रखना है। साथ ही स्थानीय लोग सरकारी व गैर सरकारी संस्थाएं सभी मिलकर उन्हें सहयोग प्रदान करें। महिलाओं को भी छोटे-छोटे समूह बनाकर विभिन्न विषयों,



© IJRPS International Journal for Research Publication & Seminar

मुद्दों पर गम्भीरतापूर्वक विचार-विमर्श काना चाहिए। इससे उनमें आत्मविश्वास का संचार होगा व घर के कामकाज के साथ ही वे बैठकों में भाग लेने, योजना बनाने, क्रियान्वित करने, निर्णय लेने एवं उन्हें लागू करने में सक्षम बनेंगी।

स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता

महिलाओं को सबल बनाने में उनके स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है। यद्यपि सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रसार किया है परन्तु अशिक्षा, परम्परावादी दृष्टिकोण एवं जागरूकता की कमी के कारण आज भी मातृ-मृत्युदर 677 प्रति लाख है। इसको कम करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ प्राप्त करना होगा। प्रत्येक पंचायत में कम से कम एक उपस्वास्थ्य केन्द्र है। पंचायत यह देखें कि उपस्वास्थ्य केन्द्रों पर महिलाओं के प्रजनन, स्वास्थ्य, बच्चों के जन्म दने, उनकी देख-रेख करने आदि की समस्त सुविधाओं का विस्तार हो। वहां बच्चों के टीकाकरण एवं उनके स्वास्थ्य की देखभाल का प्रबन्ध रहे। यदि रोगी को अस्पताल में भर्ती रखा जाना है तो उसके लिए समस्त व्यवस्थाएं केन्द्र पर विकसित की जाएं। परिवार में महिला एवं बालिका की बीमारी के समय लम्बे समय तक उपचार की जरूरत क्यों नहीं समझी जाती है? योने -टोटके की शरण लेने की प्रथाओं के कारण स्वास्थ्य संबंधित अनेक परेशानियां बनी रहती हैं। गांवों में भी महिलाओं के स्वास्थ्य हेतु विशेष प्रबन्ध करें।

अधिकारों के साथ कर्तव्यों के प्रति जागरूकता

हमारे संविधान से लेकर सामाजिक रीति-रिवाजों में भी महिला एवं बालिकाओं को अनेक अधिकार दिए गए हैं। इन अधिकारों की जानकारियां नहीं होने से महिलाएं अनेक लाभों से वंचित रह जाती हैं। अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों की जानकारी करवाई जानी है। उन्हें समाज में पुरुषों के साथ मिलकर ही कार्य करना होता है। समाज में पुरुष और महिलाएं दोनों ही मिलकर परिवार रूपी गाड़ी को चलाते हैं। समाज में ऐसी व्यवस्था को विकसित करें जिससे कानूनी, सामाजिक, धर्मिक, आर्थिक अधिकारों एवं कर्तव्यों की ठीक से जानकारी हो सके। विचार-विमर्श, सभा सम्मेलनों व साहित्य के माध्यम से इन जानकारियों को निरन्तर बढ़ाने के प्रति जागरूकता रहना जरूरी है। सभी स्तरों पर इस प्रकार की जानकारियां बढ़ाने के लिए उपाय करते रहें।

सामाजिक कुरीतियां समाप्त करना

समाज में अनगिनत कुरीतियां फैली हुई हैं। इन कुरीतियों में बाल-विवाह, पर्दा प्रथा, विधवाओं के साथ अमानवीय व्यवहार, मृत्यु भोज, विवाह समारोह पर अत्यधिक व्यय, नशाखोरी, पुत्र को प्राथमिकता, भ्रूण हत्या आदि सम्मिलित हैं। प्रत्येक रीति-रिवाज, प्रथा, धारणा, मान्यता पर सामाजिक बहस करें जो उचित आर व्यावहारिक हो उन्हें रखें। समाज के कुछ वर्गों में अभी भी लड़कियों के जन्म को अशुभ मानने की रुद्धिगत परम्परा विद्यमान है। इस तरह नारी की उपेक्षा उसके जन्म से ही प्रारम्भ हो जाती है। उपेक्षा के फलस्वरूप ही ग्रामीण महिलाओं को लाभकारी व्यवसायों में काम करने की इजाजत नहीं दी जाती है। फलस्वरूप उन्हें रोजमर्ग के घरेलू कार्यों में कार्यरत रहना पड़ता है। पंचायते इन मामलों में प्रभावी भूमिका निभा सकती हैं। गलत मान्यताओं को छोड़कर उपयोगी बातों पर विचार आरम्भ कर सकती हैं। महिलाओं को इतना सबल अवश्य बनाया जाए कि वे अत्याचारों के विरुद्ध अपनी आवाज उठा सकें। आवश्यकता होने पर सामाजिक एवं कानूनी सहायता प्राप्त कर सकें। इस प्रकार की सामाजिक संस्थाओं का विकास किया जाए कि वे महिलाओं पर अत्याचारों एवं शोषण पर सुनवाई करके उन्हें न्याय दिला सकें। जन-चेतना जागृत कर करीतियों की समाप्ति में कर सकें।

कौशल विकास से क्षमता बढ़ाना

लड़कियों के घरेलू काम-काज करने पर तो विशेष ध्यान दिया जाता है परन्तु बाहर के काम -काज करने का अवसर ही नहीं दिया जाएगा तो उनमें वे कार्य करने के कौशल किस प्रकार विकसित होंगे? क्रय-विक्रय करना, बैंक व कार्यालयों के काम बैठकों में भाग लेना, समूह गठन करना, उद्योग धंधों का संचालन करने जैसे अनेक कार्य हो सकते हैं। यदि महिलाएं इन कार्यों को करेंगी तो उनके कौशल का विकास होगा एवं अपनी क्षमताओं को पहचान कर वे अपने एवं परिवार के विकास में सक्रिय रूप से भागीदारी बन सकेंगी। अपने आत्म-सम्मान, आत्मविश्वास एवं संवेदनशीलता को बढ़ाकर समता एवं समानता का हक हासिल करें। महिलाओं को इस प्रकार की दक्षता या प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये कि उन्हें अपेक्षाकृत अधिक मजदूरी मिल सकें। गांवों में पंचायतों द्वारा बनाए गए सामुदायिक भवनों में प्रशिक्षण की व्यवस्थाएं की जा सकती हैं।

उनमें सिलाई, कढ़ाई, बुनाई आदि मशीनें लगा सकते हैं। उन्नत कृषि एवं डेयरी की जानकारियां कराई जा सकती हैं। इस काम को सिखाने के लिए स्थानीय अथवा बाहर के प्रशिक्षकों को लाक थोड़े-थोड़े समय के बाद समूह में कार्य सिखाया जाए। यह क्रम तब तक जारी रखना चाहिए जब तक कि वे ठीक तरह से काम सीख जाएं एवं उसे रोजगार के रूप से अपना लें।
आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता

सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता महिलाओं को आर्थिक स्वतन्त्रता की है। परिवार में अधिक श्रम महिलाओं का ही करना पड़ता है। परन्तु उनका श्रम पूर्णतः अवैतनिक रहता है। सुबह से रात तक घर और खेती के कार्यों में जूझती महिलाओं के श्रम का अधिकांश फल पूरे परिवार को मिलता है। आवश्यकता इस बात की है कि महिलाओं के श्रम का उचित मूल्यांकन हो ताकि उनके श्रम का उचित प्रतिफल उन्हें मिले। इसके लिए उन्हें शिक्षित -प्रशिक्षित तो होना ही पड़ेगा।

आठवीं एवं दसवीं कक्षा में पढ़ने वाली बालिकाओं को शिक्षा के साथ ही व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाए। लघु एवं कुटीर उद्योगों का प्रशिक्षण लेने पर वे अपना रोजगार कर सकेंगी। परिवार की आय में बढ़ जाएगी। इस दिशा में स्वयं-सहायता समूह अधिक कारगर हो सकते हैं। छोटी-छोटी बचत को इकट्ठा करके पूँजी निर्माण करें।

उस पूँजी में से व्यवसाय करने के लिए ऋण उपलब्ध करवाएं; जिससे गांव में उत्पादित होने वाली प्रत्येक सामग्री एवं उपज का उन्हें पूरा-पूरा लाभ मिल सके, इसके लिए उद्यमशीलता को प्रोत्साहन दें। ग्रामीण महिलाओं को लाभदायक रोजगार प्रदान करे और पुरुषों के बराबर पारिश्रमिक अर्जित करने में आड़े आने वाले अवरोधों से संबंधित समस्याओं का समाधान ढूँढना होगा। रोजगार का सृजन करने वाले विभिन्न कार्यक्रमों और नीतियों को बनाते समय गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाली ग्रामीण भूमिहीन महिलाओं को प्राथमिकता दी जानी आवश्यक है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी द्वारा खोले गए रोजगार के नवीन अवसरों के द्वारा महिलाओं को लाभ पहुँचाने का प्रयास किया जाना चाहिये।

स्व-रोजगार के लिए स्वयं-सहायता समूह

समूह बनाने की योजना :- स्थानीय स्तर पर जागरूक लोग, स्वयंसेवी संस्थाएं, राजकीय अभिकरणों आदि के द्वारा लोगों से अनौपचारिक सम्पर्क कर बातचीत करते हैं। जिससे उनके परिवार, व्यवसाय, ऋण-ग्रस्तता, सामाजिक कुरीतियों, सरकारी योजनाओं, सार्वजनिक सुविधाओं, बच्चों के स्वास्थ्य एवं शिक्षा आदि विषयों पर स्थानीय महिलाओं को जागरूक किया जा सकता है। जब कुछ लोगों में यह जागृति दृष्टिगोचर होने लगे तो उनकी औपचारिक बैठक आयोजित कर समूह बनाएं। समूह में लगभग समान विचार एवं आर्थिक स्थिति वाले 10 से 25 लोगों को ही सदस्य बनाया जाना चाहिए। जब समूह तैयार हो जाए तो उसे अधिक सक्रिय बनाने के लिए चुनाव करना चाहिए। इसमें किसी शिक्षित व्यक्ति का चुना जाना ठीक रहेगा।

समूह प्रबन्धन

समूह के सदस्यों से अल्प बचत की एक निश्चित राशि उनकी सुविधानुसार तय कर एकत्रित की जाए। एकत्रित राशि समूह के विश्वास-पात्र शिक्षित व्यक्ति अथवा कोषाध्यक्ष के पास जमा कराई जाए। समूह का नाम, प्रतिमाह हिस्सा राशि जमा करने की तारीख, समय पर न जमा करने पर पैनलटी, लोन, ब्याज, मासिक किस्त आदि तमाम बातों को समूह की सहमति से निश्चित कर लिया जाना चाहिए। समूह को सुदृढ़ बनाने के लिए अधिक से अधिक बातों पर विचार करना चाहिए।

प्रबन्धकीय समिति का कार्यकाल, प्रत्येक पदाधिकारी के अधिकार एवं कर्तव्य का निर्धारण करना, आकस्मिक घटना के लिए राशि रिजर्व रखना, झगड़ा करने वाले सदस्य को हटाना, सदस्य की मत्यु हो जाने की स्थिति में सदस्य को नामित करना, ऐसे अनेक मुद्दों पर विचार करके समूह के नियम लिखित रूप से तैयार कर लेने चाहिए। जिससे बाद में किसी प्रकार का विवाद पैदा न हो। समूह का अध्यक्ष बैठकों की अध्यक्षता करेगा, आकस्मिक स्थिति में मीटिंग बुलाएगा, सदस्यों को प्रोत्साहित कर सभी का सहयोग लेगा और उन्हें आवश्यक जानकारी देगा।

सचिव समूह की मीटिंग बुलाकर उसमें लिए गए निर्णयों को लिखित रूप से अंकित करेगा। समूह के लिए आवश्यक रिकार्ड तैयार कर सुरक्षित रखेगा। कोषाध्यक्ष का काम धनराशि एकत्रित करना, रिकार्ड में लिखना, रसीद देना, ऋण का प्रबन्ध करना, खर्चों का हिसाब रखना एवं सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत करना और हिसाब का प्रमाणीकरण करना होगा। समूह का बैंक में लेन-देन

समूह के सदस्यों के कुछ अर्से तक नियमित लेन-देन चलता रहे जिसका हिसाब किताब रखा जाए, फिर समूह के निर्णयानुसार बैंक में खाता खुलवाया जा सकता है। बचत खाता समूह के अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से खोला जाए। इस खाते में से किन्हीं दो के हस्ताक्षर से ही रूपये निकाला जा सकेगा। समूह के कामकाज के आधार पर बीपीएल परिवार की महिलाओं को बैंक पच्चीस हजार रूपये रिवालिंग फंड के रूपये भी उपलब्ध कराता है। इस राशि का उपयोग भी समूह के सदस्य ऋण के लिए कर सकते हैं। जिससे उनका समूह आपसी विश्वास के साथ मजबूत बन सके। इससे जरूरतमंद को ऋण देने की सुविधा रहेगी।

स्वयं -सहायता समूह से महिला सशक्तीकरण:-

स्वयं सहायता समूह निर्माण का कार्य पिछले कुछ वर्षों से स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा प्रारम्भ किया गया। जहां पर भी ईमानदारी से प्रयत्न किये गए हैं वहां इन प्रयासों को बहुत अधिक सफलता मिली है। कुछ परिणाम तो ऐसे निकले जिनका सकारात्मक प्रभाव देखा जा सकता है। इनमें सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक प्रभाव महत्वपूर्ण हैं। विशेषरूप से इन तीनों क्षेत्रों में महिला सशक्तीकरण के अभियान में उल्लेखनीय सफलता मिली है।

समाजिक क्षेत्र:-

समूह के सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिलता है जिससे वे अपने मन की बात अपने साथियों के साथ बांटकर जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। समूह को नई बातें सीखने, नए स्थानों पर जाने, नए लोगों से बातचीत करने का अवसर मिलता है जिससे अपने जीवन स्तर में सुधार कर सकते हैं। शोषण के खिलाफ लड़ाई करने की हिम्मत आती है। दहेज, बाल-विवाह, शराब, मृत्युभोज, आदि कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाने की ताकत बढ़ती है।

आर्थिक क्षेत्र:-

छोटी-छोटी बचत से पूँजी निर्माण होता है जिसे आवश्यकता के समय काम में लिया जा सकता है। सामूहिक रूप से काम करने की भावना मजबूत होने से आर्थिक गतिविधियों का कुशलता से संचालन किया जाना संभव होता है। सदस्यों द्वारा कम व्याज पर संकटकालीन ऋण व्यवस्था कर लेने से परिवार में सम्मान बढ़ता है। उत्पादक गतिविधियों में सम्मिलित होने पर आय में वृद्धि होने से जीवन में सुधार आता है। बचत करना बैंक से लेन-देन करना, ऋण लेना, ऋण चकाना एवं लेखा-जोखा रखने से आर्थिक स्वावलंबन बढ़ता है।

राजनैतिक क्षेत्र :-

समूह में कार्य करने से लोगों में पहचान बनती है। नेतृत्व गुणों का विकास होने से चुनाव लड़ने की हिम्मत आती है। उच्च पदों प्रतिनिधित्व करने, अपनी मांगों को रखने, उन्हें मनवाने की ताकत बढ़ती है। गरीबी लोगों के लिए बनने वाली योजनाओं को व्यावहारिक रूप प्रदानकर समूह के लोगों की मदद कर सकते हैं।

निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि महिलाओं की भागीदारी के अवसर तो है लेकिन समान अवसर प्राप्त करने हेतु उन्हें अभी संघर्षों की लम्बी यात्रा करनी होगी। वस्तुतः महिलाओं द्वारा शासन में भाग लेने से व्यवस्थाओं में मितव्ययता, सुशासन ईमानदारी, भ्रष्टाचार उन्मूलन, निष्ठा, लग्न, उत्तरदायित्व आदि मूल्यों का आना संभव है। प्रायः देखा गया है कि विकास की प्राथमिकता के बारे में महिलाएं व्यावहारिक दृष्टिकाण अपनाते हुए टिकाऊ विकास, वन संरक्षण, पोषण, स्वास्थ्य, बाल कल्याण, शौचालय तथा स्नानघर की उचित व्यवस्था, आत्मनिर्भरता, कुटीर उद्योगों आदि के मसलों को अधिक महत्व देती हैं। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को वास्ताविक स्वरूप प्रदान करने हेतु गैर सरकारी एवं सरकारी संगठनों, महिला समूहों आदि को एक साथ कार्य करना होगा। आने वाले वर्षों में एक बहुआयामी रणनीति अपनानी होगी। महिलाओं को अधिक पद प्राप्त होने और उनकी सशक्त भूमिका बनने पर विकास की कई विसंगतियां दूर करने में मदद मिल सकती है। विकास की एक बेहतर समझ सामने आ सकती है।

1. नारी शिक्षा : एक महत्वपूर्ण पहल - डॉ. प्रदीप कुमार
2. नारी चेतना - सुधा कुमारी
3. विकास और महिला: डॉ. विश्वकान्ता प्रसाद
4. महिला और समाज : डॉ. शिव प्रसाद
5. महिला उत्पीड़न : डॉ. अशोक कुमार
6. नारी जीवन और चुनौतियां : डॉ. चन्द्रमणि सिंह
7. नारी के बढ़ते कदम : डॉ. विनय कुमार
8. भारत में महिला शिक्षा : डॉ. कांति कुमार